

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चि.अ./ए-356/2025/ 52

दिनांक : 18/1/2025

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
कोटपुतली-बहरोड।

विषय:- डॉ. अरविन्द अग्रवाल, आर.सी.एच.ओ. के नियमितकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि डॉ. अरविन्द अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालरी एम. जिला सिरौही हॉल आर.सी.एच.ओ. कोटपुतली-बहरोड का दिनांक 20.07.2012 से 14.08.2012 तक की आदेशो की अवधि का नियमितकरण के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये गये है। उक्त प्रस्ताव विलम्ब से भिजवाये जाने के क्या कारण रहें?

अतः उक्त संबन्ध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित कर अविलम्ब निदेशालय को अवगत करवायें।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-356/2025/ 52

दिनांक : 18/1/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन एवं सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुप-2) विभाग राज.जयपुर।
2. डॉ. अरविन्द अग्रवाल, आर.सी.एच.ओ. कोटपुतली-बहरोड को भेजकर लेख है कि उक्त संबन्ध में अपना स्पष्टिकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटपुतली-बहरोड के माध्यम से निदेशालय को भिजवायें।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Dr. Sushil Kumar Parmar
Designation : Additional Director
Date: 2025.01.23 16:36:46 IST
Reason: Approved

